



न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

132

जया देवी कौर

वनाम हरिप्रद मारी

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	<p>अभिलेख सं०-एम...101.../2018 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी                      ...तसाड... के अप्राथमिकी सं०-26/18 दिनांक-16-7-18 प्रस्तुत                      पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि जमीनी विवाद                      को लेकर उभय पक्ष में तनाव है</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति                      क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे                      जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त                      पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं०                      की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय                      पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष                      तक परिशांति कायम रखने के लिए उसरो/उनरो प्रत्येक को 1000(एक                      हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि                      दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 24-08-18 को उपस्थापित करें।                      लेखापित एवं संशोधित</p> <p align="center">                       कार्यपालक दण्डाधिकारी,                      बुण्डू।                 </p> <p align="center">                       कार्यपालक दण्डाधिकारी,                      बुण्डू।                 </p> <p align="center">                     पीढासीन पदाधिकारी अन्य कार्य                      में व्यस्त 1 दिनांक 07-09-18 को                      शुरू।                 </p>	

24-08-18

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणियाँ  
तारीख सहित

11-02-19

आगिलेखा उपस्थापित। प्रथम पत्र  
क्रमांक 01 उपस्थित अन्य अधिवक्ता  
हाजरी दिनांक पत्र उपस्थित। प्रथम पत्र  
गवाही जमा देती से परिष्करण एवं गरी-  
परिष्करण लिया गया तथा गवाही से मुक्ति  
किया गया। प्रथम पत्र गवाही हेतु दिनांक  
25-02-19 को शुरू।

*[Signature]*  
11/02/19

25-02-19

प्रथम पत्र की ओर से हाजरी  
की गयी। कार्यपालक दफ्तर अन्य कार्य में  
बैरत। आगली तिथि 08-03-19 है।

08-03-19

आगिलेखा उपस्थापित। प्रथम पत्र  
अधिवक्ता हाजरी दिनांक पत्र उपस्थित।  
सकल वाद में 6 (छः) माह की अवधि  
रूनी दी चुकी है अर्थात् वाद कालकीर्ण  
हो गया है। अतः वाद में आगिलेखा  
की कार्रवाई बन्द की जाती है।

*[Signature]*  
08/03/19